

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल : rmsc@nic.in

क्रमांक : एफ.2(10)/आरएमएससी/प्रोक्यू/ड्रग/2012/2393 दिनांक : 30.11.2012

कार्यालय आदेश

भैषज एवं औषधियों की आपूर्ति एवं दर संविदा के लिये जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक एफ. 01(1)/RMSCL/ Finance/ 2012/ 01 dated 13.1.2012 के अन्तर्गत M/s Maxmed Lifesciences Pvt Ltd., B-10, Basement, Shankar Garden, Vikaspuri, New Delhi-110018, Factory-Plot No.5, IIDC, Pantnagar, District U.S. Nagar (Uttarakhand) के पक्ष में आईटम कोड संख्या 75 (Ampicillin Injection 500 mg) की दर अनुमोदित होने पर फर्म को Letter of acceptance no. F.2 (10)/ RMSCL/ Procurement/ Drug/ 2012/ 1493 dated 14.6.2012 जारी कर अनुबन्ध पत्र एवं प्रतिभूति राशि 10 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। फर्म द्वारा अनुबन्ध पत्र एवं प्रतिभूति राशि प्रस्तुत नहीं करने पर फर्म को पुनः पत्रांक 1705 दिनांक 3.7.2012 द्वारा अनुबन्ध पत्र एवं प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया, लेकिन फर्म द्वारा अनुबन्ध पत्र एवं प्रतिभूति राशि प्रस्तुत नहीं की गई। फर्म को निविदा की शर्तों के अन्तर्गत कार्यवाही करने एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्रांक 1730 दिनांक 12.7.2012 एवं पत्रांक 3130 दिनांक 31.10.2012 द्वारा लिखा गया। फर्म द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण की समीक्षा उपरान्त फर्म को निविदा की शर्त संख्या 19 (1) के उल्लंघन के लिये दोषी मानते हुये इस आदेश को जारी करने की तिथि से एक वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी.

क्रमांक : एफ.2(10)/आरएमएससी/प्रोक्यू/ड्रग/2012/2393 दिनांक : 30.11.2012
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, PH/RCH/HA/AIDS/MSU/IEC, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली प्रशासन
6. Drugs Controller General (India), New Delhi
7. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/उत्तराखण्ड
8. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त /L/EPM, आर.एम.एस.सी.।
11. AGM(IT), RMSC.
12. M/s Maxmed Lifesciences Pvt Ltd., B-10, Basement, Shankar Garden, Vikaspuri, New Delhi-110018
13. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी.